न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–02/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मनफूल पुत्र श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,
2. सुलतान पुत्र श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,जिला अलवर ।
3. दयानन्द पुत्र श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,
4. सत्यनारायण पुत्र श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,
5. हरभजन पुत्र श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,

..... वादीगण/अपीलांट

बनाम

1. फूलचन्द पुत्र श्री भीखा जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापुर चक नंबर 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।
2. भातीदेवी बेवा चंदगीराम जाति अहीर निवासी प्रतापुर चक नंबर 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।
3. सूबेसिंह पुत्र स्व0 श्री चंदगीराम जाति अहीर निवासी प्रतापुर चक नंबर 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।
4. कालूराम पुत्र स्व0 श्री चंदगीराम जाति अहीर निवासी प्रतापुर चक नंबर 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।
5. बलवीर पुत्र स्व0 श्री चंदगीराम जाति अहीर निवासी प्रतापुर चक नंबर 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।
6. बद्रीप्रसाद पुत्र स्व0 श्री चंदगीराम जाति अहीर निवासी प्रतापुर चक नंबर 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।
7. राकेश पुत्र स्व0 श्री चंदगीराम जाति अहीर निवासी प्रतापुर चक नंबर 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।
8. सविता पुत्री स्व0 श्री चंदगीराम जाति अहीर निवासी प्रतापुर चक नंबर 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 ।

..... प्रतिवादीगण/ असल रेस्पो0

9. होशियार सिंह पुत्र धर्मावली पुत्री श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,जिला अलवर हाल पत्नि भगवाना निवासी तीतरका बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।
10. रामसिंह पुत्र धर्मावली पुत्री श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,जिला अलवर हाल पत्नि भगवाना निवासी तीतरका बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।
11. जगदीश पुत्र धर्मावली पुत्री श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,जिला अलवर हाल पत्नि भगवाना निवासी तीतरका बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।
12. रमेश पुत्र धर्मावली पुत्री श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,जिला अलवर हाल पत्नि भगवाना निवासी तीतरका बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।
13. मुकेश पुत्र धर्मावली पुत्री श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,जिला अलवर हाल पत्नि भगवाना निवासी तीतरका बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।
14. सतीश पुत्र धर्मावली पुत्री श्री श्रीया उर्फ श्रीराम पुत्र श्री घडसी जाति अहीर निवासी ग्राम बीरनवास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0,जिला अलवर हाल पत्नि भगवाना निवासी तीतरका बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

.....तरतीबी रेस्पो0/वादीगण

उपस्थित :–
1. श्री पवन सिंह, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सुषमा शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.11.2019

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना, के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेण्टस ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना जिला अलवर राज0 में बाबत् घोषणात्मक, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। जिस वाद पर असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण को तलब किया गया। असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण की ओर से तहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया। विवादित आराजी खसरा नंबर हाल 24, 26, 27, 28, 29, 72, 73, 74, 76, 77, 92, 135, 141, 142,143, 144, 168, 169, 170, 177, 196, 198, 199, 255, 256, 257, 260, 261, 265, 281, 282, 291, 312, 346, 347, 359, 360, 389, 393, 394, 22, 93 वाके ग्राम परतापुर चक नंबर 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी का रीको द्वारा अभी तक किसी भी खातेदार को मुआवजा प्रदान नही किया गया है।तहत अदालत में पेशकर्दा उक्त वाद इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बाबत् है। जब तक मुकदमे का मैरिट

पर निस्तारण नही किया जाता है, तब तक खातेदार को मुआवजा भी नही दिया जा सकता है। प्रकरण में अभी तनकीयात भी कायम नही की गई है। प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 08.05.2017 को राजस्व कैम्प में करते हुये, अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 वादीगण का उक्त दावा, असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता के तहत मंजूर करके, खारिज कर दिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया।तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि वादीगण अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 वादीगण द्वारा पेशकर्दा दस्तावेजी सबूत पर तहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया। वादीगण अपीलांटस व तरतीबी रेस्पोडेण्टस वादीगण का वाद किसी भी कानून के तहत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता की परिभाषा की परिधि में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता में विधि विरूद्ध व्याख्या की है। तहत अदालत को पत्रावली पर उपलब्ध दावा व जबाव दावा लेकर उसके आधार पर तनकीयात कायम कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से तनकीवार वाद का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था।तहत अदालत द्वारा यह उल्लेख नही किया है कि वर्तमान प्रकरण पर आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान किस प्रकार से लागू होते हैं।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता में यह भी निवेदन किया कि सजरा के अनुसार लालजी के 5 पुत्र थे।घडसी व गिरधारी भाई हैं जो श्रीया के लडके हैं। सेटलमेंट से पूर्व विवादित आराजी गिरधारी व श्रीया के नाम थी। दौरान सेटलमेंट गिरधारी ने अपने नाम दर्ज करा ली। गिरधारी लाऔलाद फौत हो गया। गिरधारी की आराजीयात फूलचन्द व चंदगी के नाम दर्ज हो गई। जिसका इससे कोई लेना देना नही है। चूंकि विरासत से इंतकाल गलत दर्ज हुआ है। बाद में जबाव दावा के बाद साक्ष्य के बाद तनकीयात की प्रकिया अपनायी जाने के बाद निर्णय होना चाहिये था लेकिन ऐसा नही हुआ है। प्रतिवादी ने अपने जबाव दावे में यह अंकित नही किया कि जमीन उनके नाम कैसे आई। गिरधारी का इंतकाल फूलचन्द व चंदगी को कैसे दर्ज किया जबकि जमाबंदी संवत 2003 में गिरधारी व श्रीया के नाम आराजी है। अगर वाद में गलत तथ्य थे तो वाद के दौरान साक्ष्य में सिद्ध करने वाला बिंदू था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का कार्य नही है कि भूमि अवाप्ति का निर्धारण करे। अतः पत्रावली सजरे अनुसार निर्णय हेतु न्यायालय तहत अदालत को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये।

अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के दौरान जबाव में कथन किया कि प्रतिवादी के जबाव दावे के कॉलम नंबर 1 व 2 के अनुसार गिरधारी का दादा लालजी था। उसका भांजा रामसहाय था जिसका पुत्र भीखाराम के दो पुत्र फूलचन्द व चंदगी व उनकी मां भूरीदेवी जो कि भीखाराम की पत्नि थी, गिरधारी पुत्र घडसी की चूडी पहन ली। फूलचन्द व चंदगी गिरधारी के यहां गैलड आये थे। गिरधारी व भूरीदेवी के कोई संतान नही हुई। गिरधारी लाऔलाद फौत हो गया। जिसका विरासत इंतकाल फूलचन्द व चंदगी के नाम आया है। उक्त फूलचन्द व चंदगी संवत 2003 से आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं।

82/

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2003 व जमाबंदी संवत 2020–24 में यह विवादित आराजीयात गिरधारी पुत्र घड़सी के नाम दर्ज है जिनमें इनकी वल्दियत भीखा अंकित है। संवत 2020 की जमाबंदी में गिरधारी वल्द घडसी और फूलचंद, चंदगी वल्द भीखा अंकित है। जमाबंदी संवत 2003 में नंबर खतौनी 14 खसरा संख्या 80/2 गिरधारी गोपाल हिस्सा बराबर, खसरा संख्या 17 गोपाल हिस्से पर निस्फ गिरधारी, खाता संख्या 35 गिरधारी, श्रीया बहिस्से बराबर, खाता संख्या 22 गोपाल, गिरधारी हिस्सा बराबर(जमाबंदी संवत 2006) अंकित है।

इन जमाबंदियों से यह स्पष्ट नही है कि गिरधारी श्रीया का भाई था। गिरधारी की वल्दियत संवत 2020 से पूर्व किसी भी जमाबंदी में नही है। केवल 2003 की जमाबंदी में गिरधारी वल्द घडसी अंकित है। श्रीया की वल्दियत किसी जमाबंदी में अंकित नही है। जमाबंदी संवत 2002 से 2020 तक गिरधारी व श्रीया जो खसरा नम्बरान में बहिस्से बराबर हैं इसी प्रकार खसरा नंबर 22 जमाबंदी संवत 2006 में गिरधारी गोपाल हिस्सा बराबर अंकित है किन्तु दोनों जमाबंदियों में वल्दियत अंकित नही है। इससे यह प्रमाणित नही होता कि दोनों आपस में भाई थे जबकि फूलचन्द चंदगी पिसरान भीखा जमाबंदी संवत 2003 में अंकित है। नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.06.69 गिरधारी की फौत के बाद सही खोला है जो जिम्मन संख्या 1 व 2 को सही ठहराता है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 की ताईद में ग्राम पंचायत घिढोल का सीहाहा श्रीया उर्फ श्रीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र जमाबंदी 2058–61 और 2062–65 पेश किया है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची ग्राम बीरनवास सन् 1993 भाग संख्या 25 क्रम संख्या 3339 जिसमें श्योचंद व श्रीया दोनों भाई हैं।

उक्त सभी रिकॉर्डेड दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी ने अपने जबाव दावे के जिम्मन संख्या 1 व 2 में जिन तथ्यों का अंकन किया है वह सही है। वादी अपने वाद पत्र को क्लीन हैंड से नही लाया। दावे में पिता का नाम गलत अंकन किया है साथ ही उक्त विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकार भूमि अवाप्ति हो जाने से समाप्त हो चुके हैं। तहत अदालत द्वारा यद्यपि प्रार्थना पत्र पर निर्णय विधि अनुकूल किया है परन्तु उसकी सही विवेचना नही की है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना, के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2017 यथावत रखी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.11.2019

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर